उत्तराखण्ड शासन
आवास विभाग
संख्या–Ch-23/V/आ0–2007–51(आ0)/07
देहरादून, दिनांक 1[illegible] अप्रैल, 2007

उत्तराखण्ड नजूल नीति, 2005 की समीक्षा, राज्य के समग्र विकास हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा भू–माफियाओं की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये शहरी आवास नीति एवं महायोजना में आवश्यक संशोधन पर विचार विमर्श एवं अध्ययन हेतु सम्यक विचारोपरांत प्रमुख सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार विभागीय समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
2– उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण।
3– अपर सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
4– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
5– सचिव, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।
6– सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

यह समिति अध्ययनोपरांत अपनी संस्तुति दिनांक 1–5–2007 तक प्रस्तुत करेगी।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या Ch-23(1)/V .... तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –
1– उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून
2– उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार
3– निजी सचिव, अपर सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन।
4– वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
5– सचिव, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
6– सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
8– गार्ड फाईल।

(एस0के0 पंत)
अनु सचिव